# अयोध्या विवाद का हल :

## विज्ञान का दायित्व, न्यायालय का नहीं

लेखक

डॉ० सुरेन्द्र

अध्यक्ष (विधितः)
भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद

प्रकाशक

सांस्कृतिक गौरव संस्थान

# अयोध्या विवाद का हल
# विज्ञान का दायित्व
# न्यायालय का नहीं

डा0 सुरेन्द्र

कापीराइट सुरक्षित : डा सुरेन्द्र, 2002

पहला संस्करण, अक्टूबर 2002

**लेखक** : डा0 सुरेन्द्र
द्वारा : सांस्कृतिक गौरव संस्थान
डाकपेटी संख्या 5016, सैक्टर 5
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110022

**प्रकाशक** : सांस्कृतिक गौरव संस्थान
डाकपेटी संख्या 5016, सैक्टर 5
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110022

**मुद्रक** : साइबर क्रिएशंस
जे ई - 9 , मालवीय नगर
नई दिल्ली - 110017

सहयोग राशि - 20 रु0

# प्रकाशक को प्राकथ्थन

इस पुस्तक का उेश्य है न्यायपालिका की मनमानी से भारत की विशाल जनता को छुट्कारा दिलाना और अयोध्या में विवादित स्थल पर श्री रामलला के मंदिर का निर्माण करना । इसलिए इस पुस्तक में वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से दिखाया गया है कि न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र सीमित है – वह सांस्कृतिक विवादों का निपटारा नहीं कर सकता , वह अयोध्या विवाद का हल नहीं कर सकता ।

अयोध्या विवाद के इस वैज्ञानिक हल की वैधता को दर्शाने के लिए , लेखक ने इस पुस्तक के परिशिष्ट 1 में विधि के अर्थ की व्याख्या की है और इलाहाबार उच्च न्यायालय की विशेष लखनऊ पीठ ( जिसे अयोध्या पीठ भी कहते हैं ) को इस पुस्तक के माध्यम से खुली चुनौती दी है, उस पीठ की सांविधानिक अवमानना का मार्ग खोला है जनता को यह दिखाने के लिए कि जहाँ समानता है, वहाँ वैज्ञानिक अवज्ञा भी है, न्यायालयों की अवमानना भी है । **किसी भी न्यायालय को वैज्ञानिक चिंतन धारा और उसके व्यवहारीकरण को रोकने का अधिकार नहीं है चाहे वह कितनी ही न्यायालय विरोधी क्यों नहो ।** जनता जर्नादन को भी यह समझना चाहिए कि अपने अधिकार पाने के लिए न्यायालय के ऊपर भी लाठी नहीं चलाई जाती है, उसकी अवमानना की जाती है, उसे विज्ञान से परास्त किया जाता है ।

इ स पुस्तक में न्यायालय की सांविधानिक अवमानना का मार्ग खोलकर यह दिखाया गया है कि अयोध्या विवाद का यह

वैज्ञानिक हल सही है और बंधनकारी भी है । कोई भी न्यायालय सक्षम नहीं है कि इस वैज्ञानिक हल के विरुद्ध हो जाए और श्री रामलला के मंदिर का निर्माण रोक दे ।

अब जनता को जागना है , इस क्रान्तिकारी वैज्ञानिक हल को समझना है और श्री रामलला का भव्य मंदिर विवादित स्थल पर ही बना लेना है ।

लेखक ने अपने आमुख ( सबसे पहले इसको पढ़िये ) में सब बातें स्पष्ट कर दी हैं इसलिए इस विषय पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

यह पुस्तक सांस्कृतिक गौरव संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप है, इसलिए इस पुस्तक को प्रकाशित करके हमें संतोष है । यदि भारतीय जनता इस पुस्तक को पढ़कर न्यायपालिका के सीमित अधिकार क्षेत्र को समझ जाती है और श्री राम मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग करती है तो सांस्कृतिक गौरव संस्थान की यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी ।

विनीत

डा0 महेश चन्द्र गुप्त
महामंत्री
सांस्कृतिक गौरव संस्थान

नई दिल्ली
आश्विन कृष्ण 11, संवत 2059 वि.
दिनांक 2 अक्टूबर 2
गाँधी - शास्त्री जयन्ती

# समर्पण

परमपूज्य

माननीय अशोक सिंहल जी को,

जिन्होंने अयोध्या आंदोलन को अनुप्राणित किया,
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया
और
हिन्दू धर्म की महिमा को जानने के लिए
विश्व को प्रेरित किया

यह पुस्तक सादर समर्पित

## सबसे पहले इसको पढ़िए

यह पुस्तक ग्रामीण जनता को ध्यान में रखकर लिखी गयी है, ऐसे लोगों का ध्यान रखा गया है जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कम हो । इसलिए इस पुस्तक को सरल और सुबोध बनाने का प्रयास किया गया है । अंग्रेजी भाषा में लिखी गयी मेंरी पुस्तक के इस हिन्दी रूपान्तरण में शब्दार्थ और भावार्थ का मध्यम मार्ग अपनाया गया है । विषय को बोधगम्य बनाने के लिए दो नए लेख भी इसमें दिए गए हैं । – ( 1 ) वैज्ञानिक समाधान सहित अयोध्या विवाद की पाँच विशिष्ट बातें और ( 2 ) भारतीय मुसलमानों की स्थिति का वैज्ञानिक निर्धारण । इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित मेरी पुस्तक का हिन्दी संस्करण ही माना जा ए ।

इस पुस्तक के पढ़ने पर अगर निम्नलिखित बातें मन में बैठ जाती हैं , घर बना लेती हैं, अमिट हो जाती हैं, तभी इस पुस्तक को लिखने की सार्थकता मानी जाएगी ।

1. सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार सीमित है ।
2. अयोध्या विवाद का हल विज्ञान के अधिकार क्षेत्र में आता है ।
3. वैज्ञानिक या सांविधानिक अवज्ञा दंडनीय नहीं है । इसलिए इस अवज्ञा द्वारा न्यायालय की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सकता है ।

न्यायालय के प्रति जनता का जो अंधविश्वास है उसे मिटाने के लिए ही यह पुस्तक लिखी गयी है । अतः कृपया खुले दिमाग से इस पुस्तक को पढ़िए और इसके गुणदोष की विवेचना निष्पक्ष होकर कीजिए । अगर किसी बात को आप स्वीकार नहीं करते तो उसका कारण बताएं ताकि हम उस पर विचार कर सके ।

यह भी बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि विज्ञान मजहब का परम विरोधी या चरम विरोधी कहलाता है । विज्ञान की अपनी मान्यतांए हैं । वह किसी अधिकारी, प्राधिकारी या पुस्तक को सर्वोच्च नहीं मानता है । वह सबकी आलोचना करता है और अपनी भी आलोचना सुनने को तैयार रहता है , अन्यथा सत्य सत्य की खोज सामूहिक नहीं हो सकती । अतः इस पुस्तक को मजहबी पुस्तकों से भिन्न माना जाए । इस पुस्तक के प्रति श्रद्धा या

अंधविश्वास दिखलाने की आवश्यकता नही है । आप इस पुस्तक की आलोचना विभिन्न पहलुओं से कर सकते हैं और सुधार सुझाव दे सकते है। जब आप उपर्युक्त तीन मौलिक बातों को समझ जाते हैं तो अपने ढंग से उसे किसी को भी समझा सकते हैं । इस पुस्तक में हेर फेर करके , उसे औरयुक्तियुक्त बनाकर, दूसरे को समझा सकते हैं । इसलिए इस पुस्तक को पवित्र और अपरिवर्तनीय मानने से मना कर दिया गया हैं । **विज्ञान की दृष्टि में किसी भी पुस्तक को या अधिकारी को पवित्र मानना, उसके गुणदोष की विवेचना न करना या उसे आलोचना से परे मानना बिल्कुल अंधविश्वास है और अंधविश्वास ही हमें सत्य को खोजने से रोकता है ।**

आखिर इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है ? जो तीन मौलिक बातें ऊपर कही गयी हैं, उसी को समझाने का प्रयास वैज्ञानिक ढंग से किया गया है । जब हम किसी बात को प्रयोग द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको वैज्ञानिक ढंग कहते हैं । **इस पुस्तक में प्रयोग द्वारा समझाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार क्षेत्र सीमित है, उसके विरुद्ध भी उठा जा सकता है, उसकी भी अवज्ञा और अवमानना की जा सकती है जो दंडनीय नहीं हो सकती ।**

निम्नलिखित दो प्रयोगों को आप पढ़ेंगे और उन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे ।
( 1 ) मेरे विरुद्ध देश द्रोह का दोषारोपण है, अभियोग है, मुकदमा है और गैर जमानती वारंट है । फिर भी, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और न्यायालय मुझे दंडित नहीं कर सकता , क्योंकि मेरी अवज्ञा और अवमानना संविधानिक है ।
( 2 ) सरकारी नौरी से मुझे बर्खास्त कर दिया गया है , फिर भी मैं सेवानिवृत्ति पेंशन और ब्याज सहित देयराशि पाने का हकदार हूँ , क्योंकि मेरी अवज्ञा और अवमानना संविधानिक है – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क ( ज ) के अंर्तगत है ।

मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि कथित दो प्रयोगों के माध्यम से उपर्युक्त तीन मौलिक तथ्यों को समझाने की कोशिश , इस पुस्तक में की है । यही वैज्ञानिक ढंग है मान्य पद्धति है सही तरीका है जो हिंसा का विकल्प है अन्याय से लड़ने के लिए , भ्रष्ट समाज व्यवस्था को बदलने के लिए,

न्यायालय की मनमानी से छुटकारा पाने के लिए और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए । इस वैज्ञानिक पद्धति को हमें समझना होगा और अपनाना होगा । यह न्यायिक पद्धति से कम महत्वपूर्ण नहीं है ।

यह पुस्तक सचमुच में अद्वितीय है । अयोध्या विवाद पर जितनी भी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हुई हैं उन सबसे यह अलग पुस्तक है । यह एक मात्र पुस्तक हैजो प्रयोग के आधार पर यह बताती है कि अयोध्या विवाद का हल न्यायालय नहीं कर सकता, इसका वैज्ञानिक हल ही संभव है ।

यह सोचने समझने की बात है कि जिस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति नहीं दे सका उस प्रश्न का उत्तर इलाहाबार उच्च न्यायालय ( लखनऊ पीठ ) कैसे देगा ? किस आधार पर लखनऊ पीठ निर्णय करेगी कि विवादित स्थल पर मंदिर बनेगा या मस्जिद और कैसे वह दोनों पक्षों को मान्य होगा ? अतः हमें इस पुस्तक को पढ़कर स्वीकार कर लेना है कि न्यायपालिका अयोध्या विवाद का समाधान करने में सक्षम नहीं है , लखनऊ पीठ का खुलकर बहिष्कार करना है और विवादित मंदिर शीघ्र बनाना है ।

अगर आपको इस दृढ़कथन पर विश्वास नहीं होता है तो मैं इस पुस्तक के माध्यम से अयोध्या विवाद सुन रही विशेष लखनऊ को चुनौती देता हूँ कि वह दृढ़कथन को काट कर दिखाए । न्यायालय का यह काम कदापि नहीं है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे , जनता में भ्रम फैलाए , समाचार पत्रों पर तानाशाह की तरह अंकुश लगाए ( जैसा कि लखनऊ पीठ ने किया है ) और बहुसंख्यकों की भावनाओं का अपमान करे । क्या यही न्यायिक प्रक्रिया है ? क्या ऐसे विवादों की सुनवाई गोपनीय ढंग से होनी चाहिए ? क्या अयोध्या विवाद पर चल रही राष्ट्रीय बहस को किसी कानून से रोका जा सकता है ?

याद रखिए , हमारा झगड़ा , मुसलमान भाइयों से नहीं है , न्यायमूर्तियों से है जो हिन्दुओं को भारतीय स्वतंत्रता के पचपन बरस बाद भी गुलाम देखना चाहते हैं । वे लोग विदेशियों का दृष्टिकोण उधार लेकर भारतीय संविधान की व्याख्या करते हैं , वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोसों दूर रहकर बहुसंख्यक का दमन करते है, धर्म और मजहब में अंतर को नहीं समझते हैं और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था का पोषण करते हैं । इतने अनभिज्ञ और अन्यायी न्यायमूर्तियों से न्याय की आशा करना गलत नहीं है क्या ? हमें तो भव्य श्रीराम मंदिर उसी स्थान पर बनाना है जहाँ अभी कामचलाउ मंदिर है और शीघ्र बनाना है ।

न्यायालय हमारा क्या कर लेगा जब हम बहुसंख्यक हैं और संविधान हमारे पक्षमें है । क्या किसी न्यायालय में इतना सा हस है कि हमारे पक्ष को असंवैधानिक दिखाए और विवादित स्थल पर श्रीराम मंदिर बनाना भारत की एकता और अंखडता के विरुद्ध बताए । क्या न्यायालयों के ऊपर संविधान लागू नहीं होता ? क्या संविधान से न्यायालय को बाध्य नहीं किया जा सकता है ? क्या अयोध्या विवाद का हल वैज्ञानिक न्यायालयों का बाध्य नहीं करता है कि अपने क्षेत्राधिकार को समझें ? अतः हमें न्यायालयों की कमजोरियों तथा मजबूरियाँ समझ लेनी हैं और विवादित स्थल पर श्रीराम मंदिर दृढ़ता के साथ शीघ्र बना लेना है ।

अगर इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात भी विशेष लखनऊ पीठ अपनी शक्ति सीमा को नहीं समझती है और अयोध्या विवाद की सुनवाई जारी रखती है तो मंदिर पक्ष को चाहिएकि उस पीठ का खुलकर बहिष्कार करे और यह चुनौती दे कि अगर उस पीठ को कानूनी सामर्थ्य है तो एक तरफा फैसला कर विवादित स्थल पर मस्जिद बनवा कर दिखाए । क्या हम न्यायालय को बेईमान नहीं कहेंगे अगर वह बहुसंख्यक की भावनाओं के विरुद्ध जाता है ? क्या न्यायालय का फैसला किसी हालत में मस्जिद बनवा सकता है ? अगर नहीं, तो हम विशाल हिन्दू समुदाय न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा क्यों करे ? क्या हमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग सहन करना चाहिए ? अगर नहीं, तो फिर मंदिर बनाने में देरी क्यों ।

मै विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ । मेरे जीवन का उत्कृष्ठ कामकाजी काल भारत सरकार के एक तकनीकी विश्वविद्यालय में बीता जहाँ विज्ञान की शिक्षा अग्रेजी में देना अनिवार्य था । इस कारण से , मुझे अंग्रजी भाषा में सहज भाव से लिखेन पढ़ने की आदत पड़ गयी । वैज्ञानिक विषय को हिन्दी भाषा में सुगमता से प्रस्तुत करना मेरे लिए कठिन कार्य था । फिर भी अपने प्रिय मित्र महेश चन्द्र गुप्त जी के आग्रह पर मैं इस कार्य को नकार नही सका और इस पुस्तक को लिखा और उस उद्देश्य से लिखा कि जनता जनार्दन भी समझ जाएं कि अयोध्या विवाद का हल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और निर्भय होकर श्री रामजन्मभूमि मंदिर के निर्माण में अपना तन मन धन लगाए ।

*आभार अभिव्यक्ति*

मै डा0 महेश चन्द्र गुप्त जी ( सांस्कृतिक गौरव संस्थान के महामंत्री ) का आभरी हूँ जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर बड़ी लगन से इसे पढ़ा है और भाषा सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैजिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है । यह बता देना चाहता हूँ कि डा0 महेश चन्द्र जी हिन्दी के बहुत बड़े विद्वा नही नहीं हैं, उसके प्रचारक भी हैं, वे विज्ञान से भी परिचित हैं क्योंकि उन्होंनें अपने सरकारी सेवा जीवन का शुभांरभ सरकार के सिविल इंजीनियर के रूप किया था ।

इस पुस्तक के लेखन और प्रकाशन में संस्थान के कार्यकर्ताओं की भी मदद मुझे किसी न किसी रूप में प्राप्त हुई है जिसमें कार्यालय मंत्री ( इंजीनियर महेन्द्र अग्रवाल जी ) की मदद उल्लेखनीय है । मैं उन सभी सहयोगियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

मैं श्री पद्म प्रकाश जी वाजपेयी ( इंजीनियर्स इंडिया के भूतपूर्व उपमहाप्रबंधक ) का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अयोध्या विवाद पर मेंरी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तक को अपनाया , उसके प्रचार में रुचि दिखाई और उसका हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने में मेरा उत्साह बढ़ाया ।

भारत की ग्रामीण जनता का भी मैं बहुत आभारी हूँ जो इस पुस्तक की प्ररणा स्रोत है । आशा है कि देशवासी इस पुस्तक को पढेंगे , पढ़वाएगें और विदेशी बुद्धिवाले भारतीय नागरिक की अनसुनी करते हुए श्रीराम लला का भव्य मंदिर विवादित स्थल पर ही बनाएगें ।

यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर इस पुस्तक में कोई त्रुटि या कमी रह गयी है तो उसका उत्तरदायी केवल मैं हूँ और सुझाव प्राप्त होने पर उसे इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में दूर करने का प्रयास करूंगा । जय श्री राम ।

नई दिल्ली : 17 दिसम्बर 2002 डा0 सुरेन्द्र

विषय सूची

प्रकाशक का प्राकथ्थन 3
समर्पण
सबसे पहले इसको पढ़िए
1. वैज्ञानिक समाधान सहित अयोध्या विवाद की
पाँच विशिष्ट बांते
2. इस शोध को देखिए जो न्यायपालिका पर प्रभावी है
3. न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण और
अयोध्या विवाद का हल
3.1 परिचय
3.2 राष्ट्रीय महत्व का एक प्रश्न
3.3 अयोध्या विवाद का हल विज्ञान ने किया
3.4 सर्वोच्च न्यायालय संविधान का पालन करे
3.5 सरकार संविधान का पालन करे
4. परिशिष्ट – 1 : अयोध्या विवाद के इस वैज्ञानिक
हल की वैधता के मूल्यांकन हेतु
परिशिष्ट – 2 : भारतीय मुसलमानों की स्थिति का
वैज्ञानिक निर्धारण

## वैज्ञानिक समाधान सहित अयोध्या विवाद की पाँच विशिष्ट बांते

1. अयोध्या विवाद की पहली विशिष्टता यह है कि यह सम्पत्ति का विवाद नहीं है । यह दो संस्कृतियों या सभ्यताओं के बीच टक्कर, संघर्ष या विवाद है । बहुत लोगों को यह बात असाधारण लगती है मगर निकट भविष्य में ही साधारण लगने लगेगी क्योंकि इस संघर्ष के बिना एकीकृत विश्वधर्म या संस्कृति पैदा नहीं हो सकती । इस तथ्य की विशेष जानकारी एस. पी. हंटिंगटन का " सभ्यलाओं का संघर्ष " नामक लेख से प्राप्त किया जा सकता है । यह लेख 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र पर आतंकवादी हमले के बाद बहुचर्चित हुआ । यह लेख फारेन अफेयर्स नामक एक अंग्रेजी पत्रिका में सन् 1993 में छपा था ।

   यह भी उल्लेखनीय बात है कि विपरीत परिस्थितियों और तत्कालीन न्यायिक हठमत को सहन करने हुए विश्व हिन्दू परिषद ने खुलेआम कहा कि न्यायालय को अयोध्या विवाद पर फैसला कर ने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह धर्मो एवं आस्थाओं का मामला है । मगर विहिप इस को बात को व्यक्त नहीं कर पाया जो सर्वमान्य हो, इसलिए इसकी पूर्ति अब एक वैज्ञानिक कर रहा है और वह भी विहिप के सभी विरोधियों को चुनौती देकर ।
2. **अयोध्या विवाद की दूसरी विशिष्टता यह है कि यह विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है ।** शायद मानव इतिहास में यह सबसे लंबा चलने वाला विवाद है । यह विवाद सन् 1528 से ही चल रहा है जब रामजन्मभूमि मंदिर को जबरदस्ती तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बना दी गयी थी । इस जन्मस्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए अनगिनत लड़ाइयाँ हुई हैं और अनेक मुकदमे भी हुए । इस बात की अधिक जानकारी भारतीय जनता पार्टी के " अयोध्या और राम मंदिर आन्दोलन " नामक श्वेत पत्र से भी प्राप्त की जा सकती है ।

यह भी ध्यान ने योग्य बात है कि अयोध्या विवाद का स्परूप समय की गति के साथ बदलता रहा है, विकसित होता गया है । सन् 1950 के दशक में यह सिविल वाद के रूप में फैजाबाद व्यवहार न्यायालय में था । सन् 80 के दशक में इसने राजनैतिक रूप धारण कर लिया । सन् 1992 में जब विवादित ढाँचा गिरा दिया गया तब इसका स्वरूप बिल्कुल कानूनी तथा न्यायिक हो गया और अब इस विवाद ने वैज्ञानिक या बौद्धिक रूप धारण करके निम्नलिखित प्रश्न उठा दिया है –

" क्या अयोध्या विवाद का समाधान न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है ? "

3. अयोध्या विवाद की तीसरी विशिष्ट बात यह है कि इस विवाद का समाधान बहुत ही सा धारण मगर बहुत ही उत्तेजक मुद्दे पर आधारित है । मुद्दा यह है कि क्या हिन्दू मंदिर को जबरदस्ती तोड़कर मस्जिद बनाई गयी थी । इस मुद्दे पर गहराई से विचार, श्री चन्द्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ और अनेक साक्ष्य पक्ष और विपक्ष की ओर से प्राप्त हुए, पर इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो पाया । बाद में यह मुद्दा " राष्ट्रपति के विचाराधीन विषय " या राष्ट्रपतीय संदर्भ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा मगर उसे लौटा दिया गया । अब यह न्यायिक निर्णय के लिए इलाहा बाद उच्च न्यायालय की विशेष लखनऊ पीठ के पास विचाराधीन है । यद्यपि विहिप के पास अंसख्य अकाट्य साक्ष्य हैं जो निर्विवाद रूप से साबित करते हैं कि हिन्दू मंदिर जबरदस्ती तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गयी थी फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक दंगों की आशंका से ग्रस्त होकर विवादित स्थल की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि न्यास की अधिग्रहीत भूमि के किसी भी अंश पर शिला पूजन की अनुमति नहीं दी । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायपालिका विहिप के विरुद्ध पूर्वाग्रह से त्रस्त नहीं है? क्या न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र की काई भी सीमा नहीं है ? इन सब प्रश्नों पर खुले दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है ।

4. अयोध्या विवाद की चौथी विशिष्ट बात यह है कि यह विवाद सांविधानिक विधि व्यवस्था का विवाद है जिसका समाधान न्यायपालिका को खोजना है । क्या यह विचित्र बात नहीं लगती है ? क्या यह असंगत

नहीं है ? क्या कोई भी न्यायालय सांविधानिक विधि व्यवस्था के विवाद को हल कर सकता है ?

प्रश्न यह उठता है कि कानून का शासन किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर यह है कि बहुसंख्यक की भावनाओं का सम्मान करनाही कानून का शासन है । इसलिए किसी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि अस्सी करोड़ हिन्दुओं की भावनाओं की अनदेखी कर रामलला की प्रतिमा को विवादित स्थल से हटा कर वहाँ मस्जिद बनवाए । बहुसंख्यक की भावनाओं का सम्मान करना ही न्यायालय के अ धिकार क्षेत्र की सीमा है । अगर कानूर के शासन का सम्मान करने की इच्छाशक्ति न्यायालय में नहो, अगर न्यायालय अपनी कानूनी सीमा को नपहचाने, तो लोकतंत्र की बात करना ही बेकार है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि अगर विवादित स्थल पर रामलला के लिए भव्य मंदिर बनना निश्चित है तो अयोध्या विवाद न्यायालय में लंबित क्यों है ? यह विवाद न्यायालय में लंबित है कि इसका समाधान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है । असल में , न्यायालय असमंजस में है , करे तो क्या करे, क्या न्यायालय का फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा ? और न्यायिक समाधान का विकल्प जनता के सामने अभी तक नहीं आया है ।

5. अयोध्या विवाद की पाँचवी विशिष्ट बात यह है ि कइस विवाद का समाधान विज्ञान के अधिकार क्षेत्र में आता है , न्यायिक अधिकार क्षेत्र में नहीं । सांविधानिक विधि व्यवस्था के विवाद का समाधान विज्ञान ही कर सकता है , न्यायालय नहीं । इस बात को जनता जब समझ लेगी तो अयोध्या विवाद का समाधान अपने आप ही हो जाएगा ।

   वैज्ञानिक प्रक्रिया ा प्रणााली की प्रयुक्ति करते हुए मैंने अयोध्या विवाद का समाधान खोज लिया है । इस समाधान ने एक पुस्तक का रूप ले लिया है जिसका नाम है " अयोध्या विवाद का हल : विज्ञान का दायित्क, न्यायालय का नहीं " । यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुकी है और हिन्दी में यही पुस्तक है जिसे आप पढ़ रहें हैं ।

भारत के प्रत्येक नागरिक को यह जान लेना है कि अयोध्या विवाद के इस वैज्ञानिक समाधान से न्यायपालिका बंधित हो चुकी है । निः संदेह सह वैज्ञानिक सांस्कृतिक या सांविधानिक क्रांन्ति है जिसने रामजन्मभूमि मंदिर के विरोधियों को कानून से बांध दिया है और यह क्रांन्ति सभी भारतीयों से आग्रह करती है कि विवादित स्थल पर मंदिर का निर्माण शीघ्र कराएं, न्यायालय के निर्णय का इन्तजार किए बिना । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजग सरकार भी इस मंदिर का निर्माण कराने हेतु कानूनन बंधी है ।

अब यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक , बौद्धिक , वैचारिक या कानूनी क्रांति है या नहीं, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के सिवा किसी को भी नहीं करना है । जिस किसी को भी इस कानूनी क्रांति में संदेह हो, वह इसका सत्यापन सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है । मेरा काम है इस कानूनी क्रांति से जनता को अवगत कराना ,इस क्रांतिकारी वैज्ञानिक शोध की सूचना जनता को देना , जनहित में कथित पुस्तक को प्रकाश में ला देना , और वह काम मैंने इस लेख के माध्यम से कर दिया है ।

## इस शोध को देखिए
## जो न्यायपालिका पर प्रभावी है

29जुलाई 2002

सेवा में
भारत के माननीय उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली

महोदय,

एक मौलिक वैज्ञानिक शोध इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ जो अयोध्या विवाद को विज्ञान की परिधि में हल करता है और भारत के सभी नागरिकों का आह्वान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति के ओदश की अवहेलना करके अयोध्या में कामचलाऊ श्रीराममंदिर की जगह पर स्थायी भव्य श्रीराम मंदिर बनाएं । यह वैज्ञानिक शोध क्रांतिकारी है जो मंदिर बनाने की कानूनी अड़चनों को दूर करने के साथ -साथ, समस्त न्यायपालिका को विकासोन्मुख , समता-मनस्क, विवेकी, सांविधानिक होने के लिए बाध्य करता है ।

इस क्रांतिकारी वैज्ञानिक शोध को आप देखें और भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार करें कि अयोध्या विवाद का हल न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलने दें और भारतीयों के बीच विवेक, समरसता और एकता आने दें ।

सधन्यवाद भवदीय

ह0 सुरेन्द्र

अनुलग्नक : एक शोध - " अयोध्या विवाद का हल विज्ञान का दायित्व, न्यायालय का नहीं "

न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण और अयोध्या विवाद का हल

हम सभी अयोध्या विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं । लेकिन हमारी समस्या है कि यह हल कैसे करें । इस विवाद में दो प्रतिकूल पक्ष हैं जिन्हें " मस्जिद पक्ष " और " मंदिर पक्ष " कहा जा सकता है । मस्जिद पक्ष का कहना है कि अयोध्या विवाद पर न्यायालय का निर्णय मान्य है । मगर मंदिर पक्ष का कहना है कि अयोध्या विवाद पर निर्णय देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो फिर उसका निर्णय क्यों माना जाए ? " अंतिम सत्य और अयोध्या विवाद " पर किया गया मेरा वैज्ञानिक शोध मंदिर पक्ष को समर्थन देता है । इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अयोध्या विवाद का हल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कैसे बाहर है ।

मेरा सीधा तर्क यह है कि राज्य बहुसंख्यक की इच्छा का प्रतीक है और न्यायालय र ाज्य का एक अंग है । इसलिए न्यायालय को बहुसंख्यक की इच्छा के विरुद्ध जाने की शक्ति नहीं है अन्यथा न्यायालय का निर्णय लागू नहीं हो सकता । अव्यवहारिक हुए बिना कोई भी न्यायालय बहुसंख्यक की भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकता । यही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या न्यायिक शक्ति की सीमा है ।

अयोध्या विवाद क्या है ? इसे सोचें और समझें । विवादित स्थल पर एक कामचलाऊ मंदिर है । इस मंदिर में रामलला विराजमान हैं जो पचासों साल से उस स्थल पर विराजमान हैं । अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय को य ह शक्ति है कि बहुसंख्यक की भावनाओं की अनदेखी करके कामचलाऊ मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाने का आदेश देदे ? अगर न्यायालय को ऐसी शक्ति नहीं है तो फिर अयोध्या विवाद की सुनवाई करना और उस पर ि नर्णय देना निरर्थक नहीं है क्या ?

इस विवाद में मस्जिद पक्ष का तर्क है कि जिस जमीन पर कामचलाऊ मंदिर बना हुआ है वह मस्जिद पक्ष की है क्योंकि उस जमीन पर मस्जिद भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही विद्यमान थी । मगर मंदिर पक्ष का तर्क है कि मस्जिद रामजन्मस्थान मंदिर को तोड़कर बनाई गयी है । अगर इस क्षति की पूर्ति स्वतंत्र ?ता प्राप्ति के बाद भी नहीं की जा सकती तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं हुआ । ये दोनों तर्क इतने भारी हैं कि न्यायालय के लिए कठिन है कि किसको स्वीकार करे और किसको अस्वीकार करें । जब तक हमारे मूल्यों या दृष्टिकोण में बदलाव नहीं होता है तब तक न्यायालय सही निर्णय नहीं ले सकता । फलतः सामूहिक शान्ति भंग कराए बिना या साम्प्रदायिक दंगा भड़काए बिना, न्यायालय अयोध्या विवाद को समाप्त नहीं कर सकता । इसलिए न्यायालय ने यथास्थिति का रास्ता चुना है और इस कारण से, कामचलाऊ मंदिर अनन्तकाल तक स्थायी रहेगा ।

इस संबंध में कानूनी या बौद्धिक तर्क इस प्रकार हैं । भारतीय संविधान ने न्यायालय की सीमित शक्ति या अधिकार दिया है जिससे कि सभी भारतीय नागरिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का लाभ उठा सकें । न्यायालय तो जनमत का अनुचर होता है, उसे जो सामाजिक व्यवस्थादी जाती है उसी का अनुपालन करता है । वह दी गयी व्यवस्था को नहीं बदल सकता । वर्तमान सामाजिक व्यवस्था , जिसे हमने

अंग्रेजों से , उत्तराधिकारी के रूप में पायी थी वह असमानता आधारित है । इस सामाजिक व्यवस्था में न्यायालय प्रत्येक नागरिक को अपना अधीनस्थ समझता है । वह हमकों तभी सुनता है जब हम नौकर की मुद्रा में उससे प्रार्थना करते हैं । वह समतावादी तो है ही नहीं अपितु यथास्थितिवादी और अवैज्ञानिक है । वैज्ञानिक दृष्टिकोण , जो समता वादी समाज की नींव है, न्यायालय के पास नहीं है । उसकी आधारभूत संरचना ही ऐसी है कि वह सांस्कृतिक विवाद का हल नहीं कर सकता और वर्तमान असमतावादी समाज व्यवस्था को बदल नहीं सकता । इसलिए अयोध्या विवाद का समाधान करने में न्यायालय अक्षम है, वह हिन्दुत्व और इस्लाम के बीच समानता का प्रश्न उठाता है, प्राकृतिक वर्गीकरण का प्रश्न उठाता है ।

न्यायपालिका के विषय क्षेत्र और उसकी सीमाओं को अच्छी तरह समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि न्यायपालिका भी एक सामाजिक संस्था है जिसने भौतिक विवादों को हल करने के लिए कुछ सिद्धान्तों को विकसित कर लिया है । वे सिद्धान्त सांस्कृतिक विवादों को हल करने में उपयोगी नहीं हैं । वे ऐसे विवादों को निपटाने में उपयुक्त नहीं हैं जिनमें न्यायालय के अधिकरा क्षेत्र को चुनौती दी गयी है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि न्यायालय वैसे ही विवादों को निपटा सकता है जिनमें राज्य के कानूनों का प्रयोग हो सकता है । अधिक से अधिक , मौलिक अधिकारों के विवादों का निपटारा न्यायालय कर सकता है । मगर जब हम किसी विवाद में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य का प्रश्न उठाते हैं, तब न्यायालय इस विवाद का निपटारा या हल करने में पूर्णतया असमर्थ है , क्योंकि उस विवाद का हल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाताहै, ,व ह सांविधानिक क्रांति का विवाद है, समानता प्राप्त करने का विवाद है ।

यह भी विचारणीय तथ्य है कि यद्यपि भारतीय राज्य सभी मजहबों के प्रति तटस्थ रहता है, किसी भी मजहब को अपनाता नहीं हैं, फिर भी व्यवहारमें ऐसा नहीं है । नहीं चाहते हुए भी , व्यवहार में भारतीय रा ज्य हिन्दू धर्म से प्रभावित होता है क्योंकि शासक वर्ग में हिन्दू वर्ग की संख्या अधिक है और वे मजहबों से उदासीन कैसे रह सकते हैं जब तक कि उसका विकल्प उनके पा सनहीं है । सही बात यह है कि प्राचीन भारत में राज्य हिन्दू था, मध्यकालीन भारत में राज्य मुसलमान या इस्लामी था , आधुनिक भारत में राज्य ईसाई था और स्वतंत्र भारत में राज्य, जाने अनजाने, " ( कोई माने या न माने ) " हिन्दू है । यह अल्पसंख्यकों का काम है कि राज्य को मजहबों के प्रति तटस्थता बरतवाए और

सांविधानिक बनवाए और वे वैसातब तक नहीं कर सकते जब तक कि अपने में समानता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की चेतना नहीं लाते हैं और सब मजहबो। से तटस्थता बरतने की कोशिश नहीं करते । यह आत्मचेतना और मानसिक अनुशासन की बात है जिससे न्यायपालिका कुछ लेना देना नही हैं । इसके लिए भारतीय नागरिकों को , खासकर अल्पसंख्यकों को ,अपने मौलिका अधिकों और कर्तव्यों के प्रतिसचेत होना होगा । ज्यों ज्यों मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की चेतना नागरिकों में जगेगी, त्यों त्यों राज्य मजहबों से उदासीन होता चला जाएगा ।

यह जानने के बाद कि न्यायपालिका की शक्ति असीमित नहीं है, उसे बहुसंख्यकों की इच्छा के विरुद्ध जाने की शक्ति नही है , उसे कोंई भी सांस्कृतिक विवाद का निर्णय करने की शक्ति नहीं है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि हिन्दुत्व और इस्लाम के बीच टकराव को सुलझाए, हमें अब विज्ञान की ओर मुड़ना है और देखना है कि विज्ञान अयोध्या विवाद का हल कैसे करता है ं

हमें पहले यह समझ लेना है कि विज्ञान मुख्यतः वैश्विक सिद्धान्त या प्राकृतिक विधि खोजने की प्रणाली है जिसके द्वारा हम वाताकरण को नियंत्रित करते हैं और मानव दशा सुधारते हैं । विज्ञान परीक्षण और नवीकरण को प्रोत्साहित करता है । वह हमें आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता दोनों प्रदान करता है । वह विवाद निपटारा में प्राकृतिक विधि व्यवस्था को सर्वोच्च मानता है, न्यायालय को नहीं । वह स्वभाव से ही मजहब विरोधी, न्यायालय विरोधी, यथास्थिति विरोधी है । वह प्रगतिवादी, समतावादी, और न्यायालय विहीन समाज चाहता है क्योंकि मानव मूल्यों को सबसे ऊँचा स्थान देता है । वह विवादों का निपटारा वस्तुनिष्ठ होकर करता है, जो न्यायालय नहीं कर पाता है । दरअसल विज्ञान क्रांतिकारी है, व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थक है, इसलिए वह राज्य के शासन का विरोधी है । विज्ञान राज्य कानूनों को नैतिक नियम, प्राकृतिक विधि या मौलिक अधिकारों और कर्तव्यो के अधीन मानता है स्पष्टतः राज्य या न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी वैज्ञानिक के सांविधानिक आचरण को मनमाने ढंग से नियंत्रित करे ।

उर्पुयुक्त कारणों से अयोध्या विवाद का हल विज्ञान के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसी बात को इस पुस्तक में समझाया गया है । यह वैज्ञानिक हल भारत को केवल सांस्कृतिक स्वतंत्रता ही नहीं देता , वरन् प्रत्येक नागरिक को समान और स्वतंत्र होने को प्रोत्साहित करता है और इस तरह से सांम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करता है । इन सब बातों को समझने के लिए हमें अपना

दृष्टिकोध बदलना होगा । न्यायिक दृष्टिकोण या असमानतावादी दृष्टिकोण को त्यागना होगा । वैज्ञानिक दृष्टिकोण या समानतावादी दृष्टिकोण का विकास करना होगा और हम ऐसा करने के लिए बाध्य हैं , भारतीय संविधानके अनुच्छेद 51 क ( ज ) के अनुसार ।

जब हम समझ गए कि न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र सीमित है और अयोध्या विवाद का हल विज्ञान का दायित्व है, तब हमें अयोध्या विवाद हल आद्योपरान्त पढ़ना चाहिए जो नीचे दिया गया है । इस हल को पाँच खंडों में विभक्त किया गया है जिससे समझने में आसानी हो । चूँकि यह हल क्रांतिकारी है, इसे खुले दिमाग से पढ़ना चाहिए ।

3.1 परिचय

हमें यह भूलना है कि भारत का संविधान राज्य की शक्ति को सीमित करता है । स्पष्टतः सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति भी सीमित है । वह किसी भी नागरिक की समानता को नकार नहीं सकता , वर्तमान समाज व्यवस्था को वैज्ञानिक या सांविधानिक ढंग से बदलने से मना नहीं कर सकता और किसी सांस्कृतिक विवाद को हल नहीं कर सकता ।

इस हल में यह दिखाया गया है कि अयोध्या विवाद सांस्कृतिक विवाद है और इसे हल करना सर्वोच्च न्यायालय की सांविधानिक शक्ति के बाहर है । उस हल को कुछ पत्रों और उनके संलग्न कागजों के माध्यम से समझाया गया है । निस्संदेह यह एक क्रांति है जो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के अन्य विभागों पर इस हल को लागू करता है ।

## 3.2 राष्ट्रीय महत्व का एक प्रश्न

सेवा में

11 जुलाई 2002

सभी समाचार पत्रों के संपादक
( हिन्दू, टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स,
इंडियन एक्सप्रेस, नेशनल हेराल्ड और अन्य )
महोदय,

मै आपका ध्यान , क्रान्तिकारी शोध की ओर आकर्षित करता हूँ, जो प्रत्येक भारतवासी को यह चुनौती देता है कि वह अयोध्या विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए निम्नलिखिल प्रश्न का उत्तर दे ।

अयोध्या विवाद का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है –
विज्ञान के या न्यायपालिका के ?

संलग्न तीन कागजों को , जिनका उल्लेख नीचे किया गया है पढ़ने के बाद ही उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए :

1. अयोध्या विवाद का हल विज्ञान ने किया
2. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का पालन करे, और
3. सरकार संविधान का पालन करे ।

अगर आप सांप्रदायिक समरसता, सामाजिक शांति , राष्ट्रविकास और मानव गरिमा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर दें और अपने पाठकों को भी उत्तर देने दें ।

सधन्यवाद

भवदीय
हस्ताक्षर सुरेन्द्र

## 3.3 अयोध्या विवाद का हल विज्ञान ने किया

सेवा में
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
भारत के माननीय प्रधानमंत्री
प्रिय प्रधानमंत्री जी

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता और जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलने नहीं दिया जाता तब तक अयोध्या विवाद का हल नहीं हो सकता ।

प्रत्येक नागरिक को यह जानना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय भी राज्य का एक अंग है और उसकी शक्ति सीमित है । उसका काम है यथास्थिति बनाए रखना और वर्तमान समाज व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखना । उसे ऐसी शक्ति नहीं है कि क्रांति लाए और समतावादी समाज व्यवस्था दे । थोड़े में यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को सांस्कृतिक विवाद हल करने का अधिकार नहीं है और अयोध्या विवाद सांस्कृतिक विवाद है ।

यह जानने के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय को अयोध्या विवाद हल करने का अधिकार नहीं है, हमें अब जानना है कि वह अधिकार किसका है ।

हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समाज व्यवस्था स्थायी नहीं है । यह व्यवस्था हमें अग्रेंजों से प्राप्त हुई थी और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को सर्वोदय या समतावादी समाज व्यवस्था में बदलने का निश्चय किया था जो भारतीय संविधान के अध्ययन से पता चलता है, खासकर उसकी उद्देशिका और अनुच्छेद 38 के अध्ययन से ।

वर्तमान समाज व्यवस्था को बदलने के लिए सांस्कृतिक क्रान्ति की आवश्यकता है और अयोध्या विवाद का हल इस क्रान्ति का से अभिन्न है । इस पर जब हम विचार करते हैं और अनुभव करते हैं कि वह क्रांति विचार को जन्म देता है , न्यायपालिका को नहीं, तब अयोध्या विवाद का हल हम आसानी से कर लेते हैं ।

अयोध्या विवाद का वैज्ञानिक हल संलग्न दो लेखों में दिया हुआ है - ( 1 ) सर्वोच्च न्यायालय का पालन करें और ( 2 ) सरकार संविधान का पालन करे । पहला लेख पाँच महत्वपूर्ण प्रश्नों / बिन्दुओं की व्याख्या कर के अयोध्या विवाद का हल करता है और इस वैज्ञानिक हल की वैधता को दिखाने के लिए, दूसरा लेख सभी शिक्षित नागरिकों से पूछता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले बिना इस क्रान्तिकारी वैज्ञानिक को न्याय मिल सकता है ?

उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कथित दो लेखों की विधिवत जाँच करा लें और स्वीकार करें कि अयोध्या विवाद का

, यह वैज्ञानिक हल सांविधानिक है और भारत के सभी प्राधिकारियों पर बंधनकारी है ।

जो लोग यह मानते है। कि सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या विवाद का हल कर सकता है , वे अंधविश्वासी हैं और वतैमान भ्रष्ट व्यवस्था के समर्थक हैं । उन्हें भारत , भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के सीमित क्षेत्राधिकार का कुछ भी ज्ञान नहीं है ।

सादर,

आपका
ह0 सुरेन्द्र

3.4 सर्वोच्च न्यायालय संविधान का पालन करे

सेवा में
भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

महोदय,

मैं, आपका ध्यान अपने दिनांक 15 अप्रैल 2002 के पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसका विषय है " अयोध्या विवाद सुनने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है " । मैं उस पत्र के समर्थन में इस पत्र के साथ एक लेख भेज रहा हूँ जिसका शीर्षक है " अयोध्या आंदोलन के सांविधानिक आधार का स्पष्टीकरण और सर्वोच्च न्यायालय का मानमर्दन " ।

सर्वोच्च न्यायालय का यह दायित्व है कि उसके विरुद्ध जो सांविधानिक क्रान्ति पैदा हुई है उस पर ध्यान दे । वह स्वीकार करे कि उसकी शक्ति सीमित है - उसे यह अधिकार नहीं है कि वर्तमान भ्रष्ट एवं कष्टकर समाज व्यवस्था को बदल दे । वह स्वीकार करे कि सांविधानिक क्रांति पैदा करना, अयोध्या विवाद का समाधान करना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अन्तर्गत आदर्श , समतावादी समाज व्यवस्था या सर्वोदय लाना , विज्ञान के क्षेत्राधिकार में आता है , न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं । अगर सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं करना चाहता है तो निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दे -

1. क्या समतावादी समाज की कल्पना की जा सकती है कि जब तक प्रत्येक नागरिक सरकार या न्यायालय की सांविधानिक अवज्ञा करने को स्वतंत्र न हो ?
2. क्या सरकार या न्यायालय की कर्तव्य आधारित अवज्ञा दंडनीय है ?
3. कब तक सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को गुलाम समझेगा , उसके साथ संविधान विरुद्ध व्यवहार करेगा और विज्ञान तथा हिन्दुत्व का उचित सामाजिक स्थान नहीं पहचानेगा ?

भवदीय

ह0 सुरेन्द्र

## अयोध्या आंदोलन के सांविधानिक आधार का स्पष्टीकरण और सर्वोच्च न्यायालय का मानमर्दन

सारांश – *सिविल कानून के तहत अयोध्या विवाद की न्यायिक सुनवाई को विज्ञान ने रद्द किया । हिन्दुत्व और इस्लाम का प्राकृतिक वर्गीकरण करके सबको समानता का निर्णय दिया । विवादिल स्थल पर श्रीराम मंदिर निर्माण की अनुमति देकर साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ाया ।*

गांधीवादी आन्दोलय के अपूर्ण कार्यों को अयोध्या आंदोलन पूर्ण करता है । गांधीवादी आंदोलन ने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई थी जबकि अयोध्या आंदोलन हमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता दिलवाता है और भारतीय समाज को भावनात्मक अंखडता प्रदान करता है । यह आंदोलन हमारे समाज को विदेशी संस्कृतियों की मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए और सर्वोदय समाज व्यवस्था की प्राप्ति तक चलता रहेगा । इस आंदोलन ने वर्तमान समाज व्यवस्था और पुरानी विचारधारा से टक्करा कर विवाद पैदा कर दिया है । इस आंदोलन ने न्यायपालिका को भी लपेट लिया है और उसके बाद सांविधानिक रूप धारण कर लिया है । इसलिए अयोध्या आंदोलन के सांविधानिक आधार को समझना होगा । इसी उद्देश्य से मैंने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के नाम दिनांक 15.04.2002 का लिखा पत्र परिचालित किया था । यहाँ अयोध्या विवाद के सांविधानिक पक्ष को समझने के लिए निम्नलिखित पाँच बिन्दुओं की व्याख्या की जाती है ( या पाँच प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है ) –

1. भारतीय संविधान सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का प्रलेख कैसे हो ?
2. अहिंसक, वैज्ञानिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्रांति कैसे पैदा की जाती है ?
3. भारतीय खनि विद्यापीठ मे अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान मैंने नैतिक नियमों की खोज कैसे की ?
4. खोजे गए नैतिक नियमों की वैधता को मैंने प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध किया ?
5. अयोध्या विवाद के संतोषप्रद समाधान के लिए कौन कौन से कानूनी प्रश्न उठते हैं ?

## प्रश्नबिंदु – 1

अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के बाद भारतीय संविधान की रचना हुई । इसकी रचना यथास्थिति बनाए रखने के लिए नहीं , जनता की आंकाक्षाओं की

पूर्ति करने के लिए हुई, प्रत्येक भारतीय को समानता , स्वतंत्रता और न्याय दिलाने के लिए हुई । इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह आदर्श या न्यायवादी समाज व्यवस्था को प्राप्त करे और उसे संरक्षण दे । इस समाज व्यवस्था की प्राप्ति क्रांति के बिना संभव नही है ।

प्रसिद्ध केशवानंद मामले ( ए आई आर 1973 एस सी 1461 ) के समय से ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का प्रलेख है । इसबात को उन्होंने काफी जोर देकर एस. पी. गुप्ता मामला ( ए आई आर 1982 एस सी 149, पैरा 26 ) में कहा है और अन्य मामलों में भी कहा है । उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति अययन कहते हैं कि भारतीय संविधान एक बड़ा सामाजिक प्रलेख है जो अपने उद्देश्य में लगभग क्रांतिकारी है । इसका उद्देश्य मध्ययुगीन, पदानुक्रमवादी समाज को आधुनिक समतावादी लोकतंत्र में बदलना है । इस संविधान के प्रावधानों को आडंबरी, परंपरागत विधिवादिता से नहीं, विस्तारवादी वैज्ञानिक पद्धति से ही समझा जा सकता है । ( ए आई आर 1976 एस सी 490 में पृष्ठ 525 देखिए )

हमारे महान नेताओं ने आदर्श समाज व्यवस्था प्राप्त करने के लिए क्रांति करने को कहा है । लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया । विनोबाजी ने क्रांतिकारी सर्वोदय का प्रचार किया और उनकी क्रांतिकारी सर्वोदय पुस्तक को मुंबई स्थित भारतीय विद्या भवन ने भी प्रकाशित किया है । प्रख्यात सर्वोदय विचारक श्री दादा धर्माधिकारी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है " अहिसंक क्रांति की प्रक्रिया " । महात्मा गांधी अपने को दोहरा क्रांतिकारी मानते थे क्योकि भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के बाद वे सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से सर्वोदय समाज प्राप्त करना चाहते थे ।

यह भी याद रखना होगा कि विज्ञान और समाज की प्रगति क्रांति के बिना नहीं होती । इस बात को समझने के लिए दो पुस्तकों का उल्लेख यहाँ किया जाता है - " वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना " और " क्रांतिकारी परिवर्तन "। अतएव क्रांति के बिना भारत को हम बेहतर नहीं बना सकते हैं । भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं और न्यायिक मनमानी से छुटकारा

नहीं पा सकते है। । वास्तव में सांविधानिक उद्देश्यों की पूर्ति क्रांति के बिना नहीं हो सकती है और अयोध्या आंदोलन को इससे अलग नहीं किया जा सकता ।

अब प्रश्न यह है कि क्रांति से हम क्या समझते हैं ? सरकार और जनता के विश्वदृष्टि या दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन होने को क्रांति कहते हैं जो हमें नए ढंग से सोचना और करना सिखाता है और यह परिवर्तन विज्ञान लाता है , अकाट्य , अप्रतिरोध्य या अनाक्रमणीय साक्ष्य प्रस्तुत करके ।

## प्रश्नबिंदु - 2

जब हम स्वीकार करते हैं कि हिंसा मुक्त आदर्श समाज व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सांविधानिक क्रांति अति आवश्यक है , तब हमें यह समझना होगा कि क्रान्ति पैदा करने की क्या पद्धति है अथवा अहिंसक क्रांति कैसे आती है ?

एक सामाजिक , वैज्ञानिक , सांस्कृतिक या अहिंसक क्रांति तभी आती है जब एक वैश्विक सिद्धान्त को खोज कर उसे प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । जब उस सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि कम से कम कुछ लोगों को बोधगम्य हो जाए , तब उसे विज्ञान की भाषा में " थ्यौरी " कहते हैं । दूसरे शब्दों में , वैश्विक सिद्धान्त या प्राकृतिक विधि की बोधगम्य व्याख्या को विज्ञान में " थ्यौरी " कहते हैं , जैसे अल्बर्ट आइन्सटाइन का सापेक्षवाद का सिद्धान्त ।यह ध्यान रखने योग्य बात है कि कथनी और करनी साथ साथ चलनी चाहिए । मगर कभी कभी कथनी के बहुत बाद करनी आती है और कभी कभी ठीक इसका उल्टा होता है । जहाँ तक अयोध्या आंदोलन का सवाल है , इसकी कथनी करनी के बाद आयी । हम लोग अयोध्या करनी की कानूनी व्याख्या या कथनी पा रहे हैं ।

इसे न भूलें कि जो सांविधानिक क्रांति आदर्श सामाजिक व्यवस्था को जन्म देगी, उसके लिए नैतिक नियम की खोज और प्रदर्शन आवश्यक हे । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो व्यक्ति नैतिक नियम को खोजेगा और प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करेगा वह व्यक्ति नह हो कर स्वयं में एक वर्ग होगा और उसकी व्याख्या न्यायपालिका तथा राज्य के अन्य अंगों को प्रभावित करेगी

क्योंकि प्राकृतिक विधि या नैतिक नियम के विरुद्ध जाने का अधिकार राज्य के किसी प्राधिकारी को नहीं है ।

## प्रश्नबिंदु – 3

यह बड़ी रोचन बात है कि कैसे मैंने भारतीय खनि विद्यापीठ धनवाद में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान नैतिक नियम की वैज्ञानिक खोज की । उस समय मेरे मस्तिष्क में अयोध्या विवाद या कोई अन्य सामाजिक बात नहीं थी । मैं भूविज्ञान की एक समस्या को, जिसे ग्रेनाइट विवाद कहते है , समाधान ढूँढने में व्यस्त था । मैं यह तय करने में लगा था कि ग्रेनाइट शैल की उत्पत्ति आग्नेय है या कायांतरित । मेरे मन में एकाएक यह बात आयी ि कइस विवाद का निर्णय किसी एक के पक्ष में नहीं हो सकता , क्योंकि आग्नेय की कल्पना कांयातरित के बिना नहीं हो सकती , जैसे दिन की कल्पना रात के बिना नहीं हो सकती । अंततोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि देश और काल का द्वन्द्व ही नैतिक नियम या अंतिक प्राकृतिक विधि है क्योंकि हम पहले ही मान चुके है कि हमारा संसार देश काल की व्यवस्था है । इस तथ्य को आइस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धान्त ने स्पष्ट कर दिया है और हम उसे स्वीकार कर चुके हैं । अतः इस संसार की प्रत्येक वस्तु में देश और काल दोनों के गुण एक साथ मिलेगें । यह द्वन्द्व अमिट है । विज्ञान की दृष्टि में इस द्वन्द्व से अधिक मौलिक इस संसार में कुछ भी नहीं है ।

जब मैंने इस देश काल द्वन्द्व नैतिक नियम की सामाजिक व्यवस्था को खोजा तो पाया कि मानव समाज में यह नैतिक नियम वर्गीकरण कहलाता है । कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है जनता और उसकी संपत्ति का प्राकृतिक वर्गीकरण । समानता के मौलिक अधिकार की व्याख्या इसी तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने की है । उदाहरण के लिए हम डी. इस. नकारा मामले ( एआईआर 1983 एससी 130 ) को देख सकते हैं । सर्वोच्च न्यायालय के समानता के अधिकार की इस व्याख्या की अनदेखी हम नहीं कर

सकते , यदि हम चाहते है कि सभी भारतीय नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार मिले, उन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय मिले ।

जब हम मानव समाज और व्यक्ति के स्वार्थ पर विचार करेंगे तो पाऐगें कि जब कभी भी हम यथास्थिति को बदलने का प्रयास करेंगे , वर्तमान समाज व्यवस्था को बदलना चाहेंगे या नया सामाजिक वर्गीकरण करेंगे तो विवाद खड़ा होगा । लेकिन हिसा को टालने के लिए और संविधान के प्रावधानों के अनुसार , नया वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक और उसके साथियों को तो न्याय मिलना ही चाहिए ।

जब मैंने विश्व शान्ति और समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से इस नैतिक नियम के अन्तर्गत विज्ञान, धर्म और मजहब का समन्वय करना चाहा तो पाया कि हिन्दुत्व तथा विज्ञान एक वर्ग में बैठते हैं और इस्लाम तथा ईसाईयत दूसरे वर्ग में, जिसे विज्ञान विरोधी वर्ग कहा जात है ।

तात्पर्य यह है कि हिन्दुत्व और इस्लाम एक दूसरे के विरोधी हैं । विशेष जानकारी के लिए मेरी पुस्तक " वैज्ञानिक दृष्टिकोण , समता वादी समाज और मूल्य शिक्षा " पढ़ें जिसका अंग्रेजी रूप भारतीय विद्या भवन मुबंई ने प्रकाशित किया है । स्वभावतः भारत सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि क्या यह नया वर्गीकरण ( हिन्दुत्व और इस्लाम को दो भिन्न वर्गों में रखना ) भारत की प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है , क्या इस वर्गीकरण के बिना प्रत्येक नागरिक को न्याय मिल सकता है ? यह स्पष्ट है कि अगर भारत को प्रगति करनी है और विश्वशांति लानी है तो भारत सरकार को धर्म को प्रोत्साहित करना होगा आत्मसात करना होगा , और मजहब ( इस्लाम और ईसाईयत को ) त्यागना होगा । बहुत से लोग इस बात को पसन्द नही करेगें मगर उनसे मेरा प्रश्न है कि क्या धर्म और मजहब को विज्ञान के साथ सहमति और असहमति के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाए ? अयोध्या आंदोलन हिन्दुत्व और इस्लाम के बीच समानता लाना चाहता है । इसलिए भारतीय सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि अयोध्या आंदोलन को प्रोत्साहित किया जाए या कुचल दिया जाए ।

यह भी बताना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय पूर्वाग्रह से त्रस्त था , उसके दिमाग में हिन्दुत्व और इस्लाम का यह प्राकृतिक वर्गीकरण नहीं था जब उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह आदेश दिया कि अयोध्या विवाद को सिविल

कानूनों के अन्दर सुनें । सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कितना गलत था उसका अनुमान निम्नलिखित प्रश्नों से लगाया जा सकता है ।

**क्या किसी सांस्कृतिक आंदोलन की सुनवाई सिविल कानूनों के तहत हो सकती है ? क्या परिवर्तनशील समाज को अपरिवर्तनशील माना जा सकता है और यथास्थिति ओदश को अनंत काल लक लागू किया जा सकता है ? क्या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से ऊपर मान लेना तर्कसंगत है ?**

स्पष्टतः हिन्दुत्व और इस्लाम का उपर्युक्त प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से को निरस्त करता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अयोध्या विवाद सुनने से मना करता है क्योंकि विवादिल स्थल पर मंदिर बनाना इस वैज्ञानिक खोज के अनुसार निश्चित है ।

# प्रश्न बिंदु 4

अब प्रश्न यह उठता है कि ऊपर चर्चित नेतिक नियम को कैसे वैध माना जाए ? क्यों इसे न्यायालय औश्र आम जनता स्वीकार करेगी ? इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान केवल तर्क से नहीं देता है सही उत्तर पाने के लिए वह प्रयोग का सहारा लेता है और यही विज्ञान की परिभाषा है ।

यह सिद्ध करने के लिए कि मेरा विवेक या स्वेच्छा सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में नहीं है , मैंने एक प्रयोग की योजना बनाई और उसे अमल में लाया मेरा प्रयोग था कि " **बिना असांविधानिक हुए मैं भारत के सभी प्राधिकारियों की अवज्ञा कर सकता हूँ** " । यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध किए गए दो निर्णायक प्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन विवरण दिया जाता है –

( क ) मैंने अपने अनुशासिक प्राधिकारी की खुलेआम अवज्ञा की और पूछे जाने पर कहा कि मेरी अवज्ञा कर्तव्य आधारित , वैज्ञानिक और सांविधानिक है । लेकिन अनुशासिक प्राधिकारी ने मेरी सेवा शर्तो की अनदेखी करते हुए मेरा वेतन रोक दिया , उसके बाद मुझे अपने काम से अनुपस्थित घोषित कर दिया और अंत में मेरी सेवाओं को समाप्त कर दिया ।

इन सभी आदेशों के विरुद्ध मैंने पटना उच्च न यायालय में एक याचिका दायर की औश्र बाद में सर्वोच्च न्यायालय में ( एस. एल. पी. सिविल संख्या 14223/88 को देखिए ) मेरा कहना था कि मेरे कर्तव्यों की अनदेखी करते हुए मेरे वैज्ञानिक शोध पर ध्यान दिए बिना भारतीय खनि विद्यापीठ की कार्यकारी

समिति के अध्यक्ष ने जो मेरा नियुक्ति प्राधिकारी नहीं था , मेरी सेवाओं को समाप्त किया है । मेरे नियुक्ति प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति हैं । आश्चर्य की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311( 1 ) का उल्लंघन करते हुए और कोई कारण बताए बगैर मेरी याचिका खारिज कर दी । इस प्रयोग ने निम्नलिखित प्रश्नों को जनता के सामने रखा ।

क्या सर्वोच्च न्यायालय का मनमाना और असांविधानिक ओदश मुझे पालन करना है ? इस विरोधाभासी परिस्थिति में मुझे किसके प्रति निष्ठावान रहना है - भारतीय संविधान के या सर्वोच्च न्यायालय के ?

न्याय के नाम पर अयोध्या आंदोलन में दखल देने और बहुसंख्यक को दमन करने के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर दे । ( ख ) दूसरा प्रयोग दरभंगा जिला व्यवहार न्यायालय और पुलिस से संबंधित है मेरी लेखनी ने दरभंगा जिला न्यायालय को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरे विरुद्ध देश द्रोह का आरोप लगाया गया ( लहेरियासराय थाना कांड संख्या 232/89 , विरुद्ध डा0 सुरेन्द्र ) देखिए । पुलिसने जब जब अपने आरोप पत्र को न्यायालय में दाखिल किया तब मैंने न्यायालय को लिख कर दिया कि मेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि मेरा आरोपित आचरण कर्तव्य आधारित वैज्ञानिक तथा सांविधानिक है जिस कारण से निचला न्यायालय ने मेरी याचिका पर ध्यान नहीं दिया , मेरे मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर कुछ भी विचार नहीं किया और मेरे विरुद्ध गैर जमानती वांरट जारी कर दिया । उस वांरट के विरुद्ध मैने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जो खारिज कर दी गयी और मुझसे मौखिक कहा गया कि अगर यह मामला मौलिक अधिकार औरकर्तव्य का है तो मुझे सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए । तब मैंने सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक याचिका दायर की जिसे कारण बताए बिना खारिज कर दिया गया । ( डब्ल्यू पी आपराधिक संख्या 8/94 को देखिए ) और मुझसे मौखिक तौर पर कहा गया कि व्यावहार न्यायालय से जमानत मिल जाएग्री ।

इस प्रयोग ने निम्नलिखित प्रश्नों को जनता के सामने रखा है -

क्या सर्वोच्च न्यायालय विश्वसनीय प्राधिकारी है ? क्या वह सांविधानिक मूल्यों पर ध्यान देता है ? क्या वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और

कर्तव्यों का आदर करता है ? क्या हमें सर्वोच्च न्यायालय के मनमाने और असंविधानिक आदेशों का पालन करना चाहिए ?

सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर दे । वह न्याय के नाम पर बहुसंख्यकों की भावनाओं का दमन नहीं कर सकता और विवादिल स्थल पर मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकता , संविधान का उल्लंघन किए बिना ।

ऊपर वर्णित दोनों प्रयोग यह दिखाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का पालन करने में असमर्थ हो गया है और इसकारण से वर्तमान समाज व्यवस्था में विसंगति आ गयी हैं । जब तक हम अयोध्या आंदोलन से उत्पन्न समतावादी समाज व्यवस्था या सर्वोदय व्यवस्था को नहीं अपनाते तब तक उन विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सकता । वे प्रयोग यह भी दिखाते हैं कि न्यायालय की वैज्ञानिक , सांविधानिक या नैतिक अवज्ञा करना स्वाभाविक है या प्राकृतिक है , इसलिए यह दंडनीय नहीं है । जहाँ समानता है , वहाँ सांविधानिक अवज्ञा की स्वतंत्रता है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की यथास्थिति आदेश की अवज्ञा या अवहेलना करके श्रीराम मंदिर का निर्माण करना पूर्णतः संविधानिक है । यह हमारी अज्ञानता ( या बौद्धिक निर्बलता है ) कि हम श्री राम मंदिर निर्माण के लिए न्यायालय के आदेश चाहते हैं ।

# प्रश्न बिंदु - 5

यह विचार करते हुए कि ( 1 ) भारतीय संविधान वर्तमान समाज व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति को प्रोत्साहित करता है ( 2 ) नैतिक नियम की वैज्ञानिक खोज और प्रदर्शन हो चुका है और ( 3 ) सर्वोच्च न्यायालय इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय संविधान का पालन करते हुए प्रत्येक न ागरिक को न्याय दे , अयोध्या आंदोलन विरोधियों को निम्नलिलिखत प्रश्नों का उत्तर देना है -

( प्रश्न 1 ) क्या सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है या असीमित ?

( प्रश्न 2 ) धर्म और मजहब का विवाद या हिन्दुत्व और इस्लाम का विवाद किसकों निपटाना है - न्यायालय को विज्ञान को ?

( प्रश्न 3 ) 6 दिसंबर 1992 को किसको गिराया गया - मस्जिद को या क्रियात्मक मंदिर को ?

( प्रश्न 4 ) हिन्दुत्व और इस्लाम को एक वर्ग में रखना क्या है – पंथनिरपेक्षता है या अन्याय है ?

( प्रश्न 5 ) जब बड़े लोकहित और छोटे लोकहित में टक्कर हो जाए तो किसको त्यागा जाएगा ? या क्या अल्पसंख्यक के हित बहुसंख्यक के हित पर हावी हो सकते हैं ? अगर नहीं , तो क्या अयोध्या आंदोलन को किसी कानून से रोका जा सकता है ?

उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हैं । फिर भी , अनिश्चितता , अनेकार्थता या भ्रान्ति को हटाने के उद्देश्य से इन सभी प्रश्नों का उ त्तर मिल गया है ।

( उत्तर 1 ) सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है । उसको समतावादी समाज व्यवस्था और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देने की शक्ति नहीं है । वह शक्ति विज्ञान में है । इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है , उसके ऊपर प्रहार किया जा सकता है । कानून के समक्ष समानता का अर्थ ही होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है या अवज्ञा की जा सकती है ।

( उत्तर 2 ) यह विज्ञान का दायित्व है , न्यायालय का नहीं , कि सांस्कृतिक विवादों का हल करें , खास कर अयोध्या जैसे क्रांतिकारी विवाद का ।

( उत्तर 3 ) 6 दिसम्बर 1992 को एक क्रियात्मक मंदिर को गिराया गया था । मस्जिद गिराने का हो हल्ला राजनीतिक , संकुचित और पक्षपातयुक्त है ।

( उत्तर 4 ) हिन्दुत्व और इस्लाम को एक ही वर्ग में रखना और पंथनिरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा देना अन्याय है । हिन्दुत्व और इस्लाम तो वैसे ही भिन्न हैं जैसे विज्ञान ईसाईयत से ।

( उत्तर 5) छोटे लोकहित को बड़े लोकहित के सामने हमेशा झुकना होगा । यह सिद्धान्त इतना स्पष्ट है कि इसको बदलने की शक्ति किसी न्यायालय में नहीं है । स्वभावतः मंदिर निर्माण को रोकने की शक्ति किसी भी न्यायालय को नहीं है । इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेघ लखनऊ पीठ के समक्ष मंदिर निर्माण के लिए पैरवी करना समय को बर्बाद करना है ।

ज्योंही हमने अयोध्या विवाद के इस सांविधानिक पक्ष को विश्व के सामने रखा , त्यों ही सर्वोच्च न्यायालय को इस आंदोलन को रोकने का आधार नष्ट हो गया और उसका यथास्थिति आदेश असांविधानिक और अमान्य हो गया । वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी सांविधानिक आंदोलन

को रोके , तो वह सांविधानिक अयोध्या आंदोलन और श्री राममंदिर निर्माण को कैसे रोक सकता है ? क्या सर्वोच्च न्यायालय की मनमानी हमें सांविधानिक कार्य करने से रोक सकती है ? क्या हमारी अज्ञानता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की मनमानी को कानून मान लें ?

इस प्रकार विज्ञान अयोध्या विवाद का हल करता है जो वस्तुनिष्ठ और सांविधानिक हल है । इस हल में हमें न्याय, शांति और प्रगति को देखना चाहिए , नकि किसी एक समूह की जीत या हार । हमें अपने सांविधानिक विकास में किसी मजहब को बाधक बनने नहीं देना तै । हमें यह नहीं भूलना है कि हमारी बुनियादी समस्या है सभी मजहबों से ऊपर उठकर और वैज्ञानिक तथा सांविधानिक मूल्यों को धारण करके अपना आर्थिक सामाजिक विकास करना । इस समस्या का समुचित सामना हम तभी कर सकते हैं जब विज्ञान और न्यायालय की टक्कर को प्रोत्साहित कर सकें और ऐसी टक्करों को हम नहीं टाल सकते क्योंकि हम ऐसी ही दुनिया में रहते हैं जो विवादों और टक्क्रों से बनी हुई है ।

3.5 सरकार संविधान का पालन करे

( 1 )

सेवा में

**पुलिस अधीक्षक**

**दरभंगा जिला**

विषय : **मेरी प्राथमिकी पर कार्यवाही करने हेतु**

सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि यह विज्ञान के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदल दे । मैंने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था बदलने की कोशिश की है खुलेआम यह प्रदर्शन करते हुए कि संविधान के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की भी अवज्ञा करने के लिए भी स्वतंत्र है । चूकि मैंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सांविधानिक क्रांति पैदा की है , मुझे किसी भी न्यायालय की आज्ञा पालन करने की आवश्यकता नहीं है । इसकी विस्तृत जानकारी संलग्न लेख से प्राप्त करें जिस लेख का शीर्षक है **" सर्वोच्च न्यायालय संविधान का पालन करे " ।**

अब आप इस बात से अवगत हो जांए कि सर्वोच्च न्यायालय की सांविधानिक अवज्ञा के इस वैज्ञानिक प्रदर्शन से दरभंगा पुलिस को भी लपेट लिया है । ( लहेरियासराय थाना कांड संख्या 232/89 , राज्य बनाम डा0 सुरेन्द्र को देखिए ) इस वैज्ञानिकक्क प्रदर्शन ने पुलिस को बाध्य कर दिया है कि वह मेरे निर्णय के अनुसार काम करे । आप बिल्कुल संतुष्ट हो जांए कि **पुलिस का यह गलत कदम था कि मेरे वैज्ञानिक सह सांविधानिक आचरण के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा करे ।**

अपने वैज्ञानिक प्रदर्शन के दौरान मैंने एक उदाहरण तैयार किया है जो गाँववालों को दिखाता है कि पुलिस के वैध हस्तक्षेप से भूमि विवादों को हिंसा मुक्त किया जा सकता है । इसके लिए कृपया दिनांक 7.10.1991 की मेरी प्राथमिकी देखिए जिसे बिरौल थाना में दर्ज किया गया है और जिसकी अन्यथा हिंसा सन्निकट है । मैं अपनी भूमि पर आपराधिक अतिक्रमण का सहन नहीं करूँगा और अगर हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी ।

आप यह न भूलें कि मुझे अपने फैसले को अपराधियों के विरुद्ध लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं अपनी हिंसाशक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ और आप उसका सम्मान करने के लिए बाध्य हैं ।

अनुलग्नकः उपर लिखित ह0 सुरेन्द्र

प्रतिलिपिः 1 जिलाधिकारी दरभंगा, 2. अनुमण्डलाधिकारी, बिरौल , 3. प्रभारी, बिरौल थाना ।

सेवा में 18 जून 2002

कुल सचिव

भारतीय खनि विद्यापीठ

धनबाद - 826004

विषयः मेरे पेंशन और देयराशि के संबंध में

महोदय,

मैं अपने दिनांक 5 मार्च 2002 के पत्र तथा संलग्न पेंशन कागजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करनाचाहूँगा । मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे पेंशन कागज मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अभी तक नहीं भेजे गए हैं । कृपया मेरे पेंशन और देयराशि के मुझे भुगतान हेतु त्वरित कार्यवाही करें ।

इस मौके पर मैं यह भी दोहराना चाहूँगा कि मैं सेवानिवृत्त पेशंन और ब्याज सहित सभी देयराशि पाने का हकदार हूँ । इसका कारण यह है कि मैंने भारतीय खनि विद्यापीठ में अपनीसेवा के दौरान सांविधानिक क्रांति का सृजन किया था और मुझे सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा पालन करने की आवयश्यकता नहीं थी । मेरा आचरण वैज्ञानिक , सांविधानिक तथा अदंडनीय था । वह सर्वोच्च न्यायालय के भी नियंत्रण से परे था । किसी को भी कानूनी अधिकार नही था कि मुझे सजा दे । इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को लिखा गया अपना दिनांक 12 जून 2002 का खुला पत्र संलग्न करता हूँ जिसका विषय है " सर्वोच्च न्यायालय संविधान का पालन करे " और जिसमें **" अयोध्या आंदोलन के सांविधानिक आधार का स्पष्टीकरण और सर्वोच्च न्यायालय का मानमर्दन "** नामक लेख संलग्न है । वह पत्र स्पष्ट करता है कि अयोध्या विवाद का हल करना विज्ञान का दायित्व है , सर्वोच्च न्यायालय का नहीं । वह पत्र एक विशाल कानूनी क्रांति का शुभारंभ करता है और मेरे निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय को बाँधता है , नियंत्रित करता है । ऐसा कोई कारण नहीं है कि विद्यापीठ प्रशासन इस क्रांति का सम्मान न करे ।

**सांराश यह है कि विद्यापीठ प्रशासन मेरी ओर से की गयी कर्तव्य आधारित अवज्ञा का आदर करने के लिए बाध्य है ।** उ से इस तरह से कार्यवाही करनी चाहिए कि मैं अपनी पेंशन और देयराशि शीघ्र ले सकूं अन्यथा मेरी देय राशि पर ब्याज बढ़ता ही जाएगा और कई अन्य समस्या बढ़ती ही जाएंगी ।

अनुलग्नक ऊपरलिखित

भवदीय सुरेन्द्र

परिशिष्ट – 1

अयोध्या विवाद के इस वैज्ञानिक हल की वैधता के मूल्यांकन हेतु

यह अति आवश्यक है कि हम भारत के लोग , कानून का अर्थ और उसके विषय वस्तु को समझें , क्योकि सत्ताधारी लोग जिनके हाथ में राज शक्ति है हमें कानून का पालन करने का आदेश देते हैं और जब हम कानून की अवज्ञा अथवा उनके आदेशों का पालन करते हैं तब हमें दंड भुगतना होता है ।

कानून का जो भी अर्थ हो , इतना तो निश्चित है कि जब तक दो विपरीत पक्ष नहीं होगें कानून का बोध नहीं हो सकता अर्थात् जब तक कानून का अस्तित्व है तब तक किसी न किसी प्रकार का विवाद भी है ।

स्पष्टतः जिस संसार के हम वासी हैं वह विवादों की व्यवस्था या समूह माना जा सकता है । हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में विवादों का सामना करते हैं और हमारी सुख शांति इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी कुशलता से और कितनी जल्दी उन विवादों का निपटारा करते हैं ।

हम जब इस संसार को विवादों की व्यवस्था मानते हैं तब हमें ध्यान में रखना होगा कि सभी विवाद एक प्रकार के नहीं होते । उनके अनेक प्रकार हैं । यहाँ हम विवादों के उस श्रेणी की बात करते हैं जिसे हम राज्य संबंधित विवाद कहते हैं , जो राजकीय संबंध याद दिलाता है ।

राज्य से संबंधित जितने भी विवाद हैं उन्हें दो मुख्यों वर्गों में रखा जा सकता है ( 1 ) वे विवाद जिनका निर्णय राज्य पर आश्रित होता है और ( 2 ) अन्य वे विवाद जिनका निर्णय राज्य पर आश्रित नहीं होता है । उन सबको आसानी से समझाने के लिए , पहले को असमानता आधारित विवाद और दूसरे को समानता आधारित विवाद कहा जा सकता है ।

असमानता आधारित विवाद में हम लोग अपने को राज्य के अधीन मानते हैं, उसकी सत्ता या शासन स्वीकार करते हैं और आशा करते हैं कि राज्य के

उपयुक्त अधिकारी हमारे विवाद पर अपना निर्णय देंगे । लेकिन समानता आधारित विवादमें हम लोग अपने को राज्य के अधीन नहीं मानते । सांविधानिक प्रावधानों , मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं और राज्य से स्वतंत्र होकर अपने विवाद का निपटारा स्वयं करते हैं तथा उसके अनुसार आचरण भी करते हैं ।

हमें यह बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि जब तक हमारे विवाद का निर्णय स्वीकार्य सिद्धान्त पर नहीं होता है तब तक वह न विरोधी पक्ष को संतुष्टकर सकता है और न वस्तुनिष्ठ हो सकता है । इसलिए विरोधी पक्ष द्वारा हमारे निर्णय को अस्वीकार किए जाने का प्रश्न नही उठता क्योंकि सिद्धान्त आधारित निर्णय दोनों पक्षों को बाध्य करता है ।

अयोध्या विवाद को हल करने के लिए हमने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र बनाम विज्ञान के अधिकार क्षेत्र को सिद्धान्त के रूप में माना है और उसकी व्याख्या की है जिससे कि आम जनता भी समझ जाए कि अयोध्या विवाछ का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है । हमने कहा है कि अयोध्या विवाद सांस्कृतिक विवाद है जिसका हल विज्ञान के अधिकार क्षेत्र में आता है और उस विवाद का हल करके हमने इस पुस्तक में लिखा है । कैसे हल किया है , इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक है जो पुस्तक पढ़ने से स्वयं स्पष्ट हो जाएगा ।

संपूर्ण संसार को , विशेषतया मंदिर विरोधियों को , यह चुनौती है कि वे दिखांए और प्रमाणित करें कि अयोध्या विवाद का यह वैज्ञानिक हल सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधीन है । अगर वे ऐसा नहीं दिखा सकते तो हमें श्रीरामजन्म भूमि मंदिर बनाने से कैसे रोक सकते हैं - उनका कौनसा कानून हमारे विरुद्ध प्रभावी होगा , हमें नियंत्रित करेगा , हमें रोकेगा ?

# भारतीय मुसलमानों की स्थिति का वैज्ञानिक निर्धारण

पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था को जन्म देती है । यह संसार का नियम है और भारत पर भी लागू होता है । भारत की वर्तमान उपसांविधानिक समाज व्यवस्था अंग्रेजों से प्राप्त हुई थी जिसमें क्रमश- परिवर्तन होता जा रहा है औश्र अब यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अधीन सांविधानिक समाज व्यवस्था में परिवर्तित होने जा रही है । यह एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन है, मानों परिवार में शिशु जन्म लेने जा रहा हो । इस क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन में अयोध्या विवाद गर्भाशय के समान और विज्ञान धात्री ( midwife ) के समान । इस क्रांतिकारी परिवर्तन में अयोध्या विवाद का क्या महत्व है इसका वर्णन गिरिलाल जैन की पुस्तक " हिन्दू फेनामेना " में इस प्रकार हैः " किस भी जगह के लिए हिन्दुओं ने तीखी लड़ाई इतने लम्बे समय तक और इतना दृढ़ होकर नहीं लड़ी जितनी कि अयोध्या में रामजन्मभूमि के लिए । इसका कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं है और इसे खोजना भी व्यर्थ है । इमें इस तथ्य और , रहस्यपूर्ण शक्ति को ही ग्रहण कर संतोष करना चाहिए । सभी संस्कृतियों और समजों पर जब परेशानियाँ आती हैं तो अदृश्य भूमिगत प्रवाह चलता है जो हमेशा सतह पर नहीं आता है । मगर ज बवह सतक पर आ जाता है तो पूरा दृश्य बदल जाता है । अयोध्या विवाद की घटना को इसी रूप में देखा जाना चाहिए । "

हिन्दू संस्कृति जो बहुत दिनों तक विदेशी दबाव में रहीं , अब भारत में और उसके बाद अन्य देशों मे प्रधानता प्राप्त करने जा रही है । यह प्रधानता उसे तलवार से नहीं , प्रेम तथा तर्क से मिलने जा रही है । यह प्रधानता उसे तलवार से नहीं , प्रेम व तर्क से मिलने जा रही है । वह विज्ञान के साथ मिलकर एक ऐसी विश्वदृष्टि देने जा रही है जो सबको मान्य होगी । इस्लाम और ईसाइयत के विरुद्ध इसका लम्बा संघर्ष अब शीघ्र समाप्त होने जा रहा है ।

हिन्दू संस्कृति जो विज्ञान की तरह है , सनातन है , ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले दोनों का आदर करती है और सर्वोदय में अटूट विश्वास करती है , वास्तव में वह विश्व संस्कृति है और विज्ञान जैसा आदर पाने योग्य है । भ्रष्टाचार और हिंसा के अपराध के बढ़ाए बिना इसे राजनीति और न्यायालय से

अलग नहीं किया जा सकता है । जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते है ंतब हम विदेशी संस्कृति के प्रभाव में बात करते हैं और भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञता प्रदर्शित करते हैं ।

यह जानने के बाद कि भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन शीघ्र होने जा रहा है , हमें अब जानना है कि वह परिवर्तन किस प्रकार होने जा रहा है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का दिनांक 1 अगस्त 2002 का आदेश कहता है कि अयोध्या विवाद से जुड़ें जितने भी सिविल वाद हैं , उनका मुद्दा निम्नलिखित है –

" क्या कोई हिन्दू मंदिर था या कोई हिन्दू धार्मिक ढांचा था जिसे तोड़कर उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गयी ं? इसका तात्पर्य हुआ कि अगर यह साबित कर दिया जाए कि हिन्दू मंदिर या धार्मिक ढाँचा तोड़कर बाबरी मस्जिद बनायी गयी थी तो अयोध्या विवाद समाप्त हो जाएगा और विवादित स्थल मंदिर ही माना जाएगा ।

पूर्व मंदिर की नींव खोजने के लिए कथित न्यायालय ने पुरातात्विक खुदाई का प्रस्ताव रखा था और संबद्ध पक्षों से लिखित विचार मांगा है । हम लोग भी अपना विचार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहें हैं ।

हम लोगों का यह विचार है कि इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए न्यायालय को साक्ष्य अभिसरण सिद्धान्त को अपनाना होगा , यह देखना होगा कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य आपस में हिलमिल कर , समरस होकर , उस स्थल पर बाबरी मस्जिद के पूर्व हिन्दू मंदिर होना प्रमाणित करते हैं ।

अयोध्या विवाद के समाधान पर गहन चिंतन क उपरांत हम लोगों का बुनियादी विचार यह है कि **अयोध्या विवाद संपत्ति विवाद नहीं हैं , यह सांस्कृतिक विवाद है , इसलिए इस विवाद का समाधान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से परे है ।** इस विवाद का समाधान व्यवहार और दंड विधि के अधीन नहीं हो सकता है क्योंकि यह विवाद हिन्दुओं की समानता का प्रश्न उठाता है , हिन्दू संस्कृति की सामाजिक श्रेणी का प्रश्न उठाता है और इसकी तुलना संसार की अन्य संस्कृतियों से खासकर इस्लाम और ईसाइयत से , करने को बाध्य कर ता है । अतः इस विवाद का संतोषजनक समाधान विज्ञान ही कर सकता है , भारतीय संविधान के अंतर्गत ।

हम लोगो के विचार का विस्तृत विवरण अंग्रेजी में प्रकाशित एक पुस्तक में दिया गया है । उस पुस्तक का शीर्षक है ( अयोध्या विवाद का हल : विज्ञान का दायित्व , न्यायालय का नहीं । ) यह पुस्तक सांस्कृतिक गौरव संस्थान ( डाक पेटी संख्या 5016 , सैक्टर - 5 , रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली - 110022 ) से उपलब्ध हैं । जनता को सोचने , समझने और स्वीकारने के लिए यहाँ केवल पाँच मौलिक सिद्धान्त दिए जाते हैं जो अकाट्य हैं और सांविधानिक क्रांति लाने के लिए यथेष्ट है :-

1 - जिस संसार में हम निवास करते हैं वह द्वन्द्व निर्मित हैं , वह विवाद और विरोध का पुंज है । वि धि का मतलब ही होता है कि वह हमारे बीच यानी मानव जाति के बीच , वर्गीकरण करे तथा विवाद और विरोध पैदा करे ।

2 - समानता के मौलिक अधिकार मे ं राज्य की वैज्ञानिक अवज्ञा या सांविधानिक विरोध उपलक्षित है ।

3 - स्वतत्रंता का मौलिक अधिकार हमें राज्य के प्रत्येक अधिकारी के प्रति वैज्ञानिक अवज्ञा या सांविधानिक विरोध करने की इच्छा प्रदान करता है।

4 - कार्यपालिका की तरह , न्यायपालिका की शक्ति सीमित है । इसलिए उसकी वैज्ञानिक अवज्ञा या सांविधानिक विरोध बेहिचक की जा सकती है ।

5 **- समानता या न्याय के लिए , हिन्दुत्व को इस्लाम और ईसाइयत से भिन्न वर्ग में रखना होगा । यह मानना होगा कि हिन्दुत्व सिद्धान्त आधारित यानी वस्तुनिष्ठ है और वैज्ञानिक विश्वदृष्टि का समर्थक है जबकि इस्लाम और ईसाइयत व्यक्तित्त्व आधारित यानी व्यक्तिनिष्ठ हैं और वैज्ञानिक विश्वदृष्टि के विरोधी हैं ।**

अब प्रश्न यह है कि हिन्दू संस्कृति प्रधान भारत में भारतीय मुसलमानों की स्थिति क्या है ? इसका सही उत्तर नीचे दिया जाता है ।

**भारतीय मुसलमान भारत के नागरिक हैं ,** इसलिए उन्हें संविधान स्वीकृत सभी मौलिक अधिकार और कर्तव्य उपलब्ध हैं । इस मामले में वे हिन्दू नागरिकों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । **लेकिन जब वे भारतीय संविधान की अनदेखी करते हैं तो वे अल्पसंख्यक हैं जिन्हें हिन्दू बहुसंख्यक का विशेषाधिकार नहीं है । उन्हें याद रखना है कि हिन्दू संस्कृति की मातृभूमि या स्वाभाविक घर भारत है जिसमें विदेशी संस्कृतियों के विकास की सीमित गुंजाइश है ।** स्वभावतः हिन्दुओं से मैत्री सम्बन्ध बनाए रखने के लिए और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क ( ड़ ) के अनुसार अपने धार्मिक

विभिन्नताओं से ऊपर उठने के लिए बाध्य हैं । वे पवित्र कुरान , शरीयत और अन्य इस्लामी ग्रंथों की व्याख्या बहुसंख्यक हिन्दुओं को अमान्य होगी । **सर्वधर्मसमभाव** हिन्दू संस्कृति का एक सिद्धान्त है जो मानव समाज में शांति और सद्भावना को प्रोत्साहित करता है । इसलिए सब धर्मों का विज्ञान से समन्वय करने में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करने में हिन्दू वर्ग स्वाभाविक रूप से अधिक सक्षम है । इसी हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनान भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य हो गया है जिसकी अनदेखी कोई भी भारतीय मुसलमान नहीं कर सकता है, अन्यथा वह संविधान का उल्लंघन करता है ।

**स्पष्टतः सभी भारतीय मुसलमान अपनी दुर्दशा का अन्दाजा लगा सकते है। जब वे विज्ञान और भारतीय संविधान की अनदेखी करके इस्लाम पर आश्रित हो जाते हैं । यह उनके हित में नहीं है कि अपने व्यक्तिगत या सामाजिक विकास के लिए इस्लामी देशों का अनुकरण करें और कोई भी प्रगतिशील भारतीय मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता , इस वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक युग में ।**

भारतवासियो!

**न्यायालय को भूल जाओ**
**श्रीराम मंदिर बनाओ**
**यह है विज्ञान का संदेश**
**जो इस पुस्तक में पाओ**

अयोध्या विवाद पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं तो फिर इस पुस्तक को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इस पुस्तक की विशेषता यह है कि यह वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा दिखाती है कि न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित है। कोई भी न्यायालय भारतीय संविधान का उल्लंघन किए बिना अयोध्या विवाद का हल नहीं कर सकता। यह हमारी अज्ञानता है कि अयोध्या विवाद पर न्यायालय–निर्णय की प्रतीक्षा करें, विशेष लखनऊ पीठ के समक्ष अपना समय बरबाद करें और श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनाएं। न्यायालय हमारा क्या कर लेगा जब हम बहुसंख्यक हैं और संविधान हमारे पक्ष में है। अगर हम मौलिक अधिकार के लिए ही लड़ते रहेंगे तो मौलिक कर्तव्य कौन करेगा। मुसलमान भाइयों को भी भारतीय संविधान का आदर करना होगा, मौलिक कर्तव्य करना होगा और मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देना होगा।